फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

प्रशासनिक सुधार विभाग

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या- 46

वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक (15, डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय-00-46-कम्प्यूटर हार्डवेअर एवं साफ्ट्वेअर का क्रय	320	320	176	176	144	2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00- आयोजनेत्तर-091- संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय-00-29-अनुरक्षण	200	359	159	159	359
						2052-सचिवालय सामान्य सेवायें- 00-आयोजनेत्तर -091-संलग्न कार्यालय-03-कार्यालय निरीक्षणालय-00-26-मशीनें, सज्जा, उपकरण और संयत्र	-	17	17	17	17
योग-	320	320	176	176	144		200	376	176	176	376

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

प्रदेश के 16 राजस्व मण्डलों में कार्यालय निरीक्षकों के 16 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 11 पद भरे हैं। शेष रिक्त 05 पदों हेतु अधियाचन शासन/लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए थे परन्तु अभी तक पद भरे नही जा सके हैं। पूर्व से मण्डल कार्यालयों हेतु 11 कम्प्यूटर उपलब्ध है। रिक्त 05 मण्डलों हेतु कम्प्यूटर क्रय करने के लिए ''मद संख्या-46-कम्प्यूटर हार्डवेअर एवं साफटवेयर का क्रय'' में रू0 320 हजार का प्रावधान किया गया था, परन्तु कार्यालय निरीक्षकों के पद नहीं भर सकने के कारण कम्प्यूटर क्रय करना सम्भव नही हुआ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से हैं :-

(1) कार्यालय भवन के अनुरक्षण हेतु मानक मद संख्या-29-अनुरक्षण में आवंटित धनराशि रू0 200 हजार है जबकि लोक निर्माण विभाग के एस्टीमेट के अनुसार कुल रू0 343 हजार की आवश्यकता है। अत: धनराशि कम पड़ने के कारण इस कार्य हेतु रू0 143 हजार के पुनर्विनियोग की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त रू0 16 हजार निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, आगरा मण्डल, आगरा के द्वारा अपने कार्यालय के अनुरक्षण पर आयुक्त की सहमति/अनुमति से व्यय किया गया है, जिसकी पूर्ति भी अनुरक्षण मद में पुनर्विनियोग से करना प्रस्तावित है। इस प्रकार अनुरक्षण मद में कुल रू0 159 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति "मद संख्या-46-कम्प्यूटर हार्डवेअर/साफटवेयर का क्रय" में उपलब्ध रू0 320 हजार में से पुनर्विनियोग से करना प्रस्तावित है।

(2) राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय के कार्यालय में काफी समय पूर्व से वाटर कूलर स्थापित है, परन्तु कार्यालय में पानी की आपूर्ति नगर निगम के जल कल विभाग के द्वारा होने के कारण पानी पीने के योग्य नही होता है तथा कर्मचारियों के द्वारा काफी समय से वाटर प्योरीफायर लगवाने की मांग की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मानक "मद संख्या-26-मशीनें, सज्जा, उपकरण एवं संयत्र" में कोई आवंटन नही हुआ है। अत: KENT MINERAL RO WATER PURIFIER की आवश्यकता को देखते हुए इसके क्रय के लिए रू0 17 हजार की पूर्ति मानक "मद संख्या-46-कम्प्यूटर हार्डवेअर एवं साफटवेअर " में आवंटित रू0 320 हजार से पुनर्विनियोग से करना प्रस्तावित है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151, में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नही होता है।

संख्या-आर0ई0 215/यू0ओ0/ई-9-434/दस-2015, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

महालेखाकार (लेखा एवं हक0) उ0प्र0, इलाहाबाद।

राम सुमेर
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

लुटावन राम
अनु सचिव।

- - - - 3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 5/2016/1727/43-1-2015-7(6)/2014 दिनांक 14 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजकीय कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4- कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियॉ में)A
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।